an>

Title: Need to provide l oan to farmers for purchase of agricultural machinery.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। देश में कृषि विकास की काफी संभावना है और यह जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देने की क्षमता रखता है। हमें कृषि उत्पादकता एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए-नए तरीके तलाशना माननीय प्रधानमंत्री जी की कृषि विकास के क्षेत्र में एक स्पष्ट सोच है। कृषि में नई तकनीकों का निरंतर प्रयोग बहुत जरूरी है। किसानों के पास कृषि यंत्रों की कमी एक बड़ी समस्या है। किसान स्वयं का कृषि यंत्र जैसे - ट्रैक्टर, ट्राली, हल, थ्रेसर आदि नहीं होने के कारण किसी दूसरे से किराए पर उपयोग करता है जिससे किसान को समय एवं धन दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। लोक सभा में वित्त राज्य मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न 883, दिनांक 27 फरवरी, 2015 के जवाब के अनुसार वर्तमान में केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि उपकरणों हेतु ऋण एवं अनुदान के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित ऋण देने वाले सभी वित्तीय संस्थानों को ऐसा निर्देश प्रदान किया जाए या नियम बनाया जाए ताकि किसानों को कृषि यंत्र खरीद के लिए कम से कम ब्याज दर पर कृषि उपकरण की लागत का 90 प्रतिशत तक राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएं। कृषि यंत्र खरीद के ऋण पर अनुदान की व्यवस्था संबंधी नीति भी बनाई जाए। कृषि यंत्र संबंधी ऋण एवं अनुदान की प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन हो ताकि किसानों को सुगमता से सुविधा उपलब्ध हो सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ashok Mahadeorao Nete -- not present.

Shri Nishikant Dubey: